भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1217
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों का रोजगार समाप्त होना

1217 श्री के.के. रागेश:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोजगार से हाथ धोने वाले दिव्यांगजनों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को कोई निधि आवंटित किया जाना विचाराधीन है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश कोविड-19 महामारी की चुनौतियों एवं खतरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, दिव्यांगजनों तक विस्तारित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के पास बकाया ऋण (योजनाओं जैसे "दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना", विशेष सूक्ष्म वित्त योजना एवं "स्वं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रोत्साहित करने हेतु दिव्यांगजनों से जुड़े लघु ऋण" के अंतर्गत किस्तों के भुगतान पर तीन माह के लिए ऋण-स्थगन का विस्तार कर दिया है। सरकार ने विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के दौरान कार्यान्वयनकरी अभिकरणों को जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग अवधि को भी आगे के 120 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। दिव्यांगजनों को नियोजन एवं आत्म-निर्भर बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशलीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी योजना का कार्यान्वयन करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अधिनियम गैर दिव्यांग कामगारों हेतु 21000/- रु. प्रति माह की वेतन सीमा की तुलना में दिव्यांग कामगारों के लिए 25000/- रुपए प्रतिमाह की उच्च वेतन सीमा की कवरेज प्रदान करता है। बीमित दिव्यांग व्यक्तियों (आईपी) के लिए नियोक्ता के अंशदान में तीन वर्ष की छूट है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगार हो जाने वाले बीमित व्यक्तियों को नकद क्षतिपूर्ति के रूप में 90 दिनों तक की राहत भी प्रदान करता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान, ईएसआईसी ने हितलाभ की मात्रा को औसत दैनिक अर्जन का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है तथा 24.03.2020 से 31.12.2020 की अवधि के लिए अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत दिव्यांग आईपी सहित बीमित व्यकियों हेतु पात्रता शर्तों में छूट प्रदान की है।

सरकार ने दिव्यांगो सहित कामगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ान हेतु निम्नलिखित कदम भी उठाए हैः

सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है जिसका लक्ष्य दिव्यांगों सहित युवाओं हेतु रोजगार सृजित करना है।

सरकार कोविड-19 महामारी के प्रभाव को गरीबों पर कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं एवं गरीब दिव्यांगों हेतु 1,000/- रुपए अनुग्रहपूर्वक अनुदान की परिकल्पना की गई है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप रोजगार एवं आजीविका अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दिव्यांगजनों सहित ग्रामीण प्रवासी कामगारों को इंटरनेट, कौशल मैपिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवृत से 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का सघन एवं संकेंद्रित कार्यान्वयन शामिल है।

मनरेगा वेतन को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है जिससे दिव्यांगों सहित 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों दिव्यांगों सहित को कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

****